न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03 / 2023

उनवान

1. शंकर पुत्र गोपी जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. भवाना पुत्र श्री मोहन जाट जाति जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. श्रीमती नन्दू पत्नी श्री गोपी जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. दिनेश पुत्र श्री गोपी जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. सोनाथ पुत्र श्री धूकल जाति जाट नि0 सोला का खेडा, पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्रीमती सोहनी पत्नी श्री मांगू जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01,02 अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उप0

दिनांक 05–02–2026

वादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 05–02–2026 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि –– को दी जायें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 306 रकबा 0.9863 है0 में सें 0.0885है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं आराजी संख्या 308 रकबा 2.0864 हैक्टयर मे से 0.5564 है0 यानि 5564 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस रकबा 0.0885है0, यानि 885 वर्गमीटर, एवं रकबा 0.5564है0 यानि 5564 वर्गमीटर, भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 885 वर्गमीटर प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 5564 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे ।

आज दिनांक 05–02–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी ([illegible])

उपखण्ड अधिकारी पदेन

सहायक कलक्टर हमीरगढ

जिला भीलवाड़ा(राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः – झंवर लाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 03/2023

उनवान

1. शंकर पुत्र गोपी जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. भवाना पुत्र श्री मोहन जाट जाति जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. श्रीमती नन्दू पत्नी श्री गोपी जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. दिनेश पुत्र श्री गोपी जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

.... वादीगण

बनाम

1. सोनाथ पुत्र श्री धूकल जाति जाट नि0 सोला का खेडा, पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्रीमती सोहनी पत्नी श्री मांगू जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :::–

अधिवक्ता वादीगण –श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान उप0

प्रतिवादीगण संख्या 01,02 अनु0

राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उप0

–:: निर्णय ::–

दिनांक 05–02–2026

यह है कि वादीगण के खातेदारी हक अधिकार एवं कब्जे काश्त की सरहद पातलियास पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 277 में अन्य आराजी के साथ आराजी नम्बर 306 रकबा 0.9863 हैक्टयर, आराजी नम्बर 308 रकबा 2.0864 हैक्टयर स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है।

यह है कि वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजीयात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 68/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 26 छब्बीस मई 2022 दो हजार बाईस को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो को होने पर माह जून 2022 दो हजार बाईस में प्रतिवादी संख्या 01 एक द्वारा आराजी नम्बर 306 एवं 308 की दक्षिणी मेड़ पर करीब 0.07 बीघा (0. 0885 हैक्टयर) एवं प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा आराजी नम्बर 308 की उत्तरी मेड़ पर करीब 02 बीघा 04 बिस्वा (0.5564 हैक्टयर) भूमि पर कब्जा कर अपनी आराजियात मे मिला दिया, जिससे दिनांक 22 बाईस जून 2022 दो हजार बाईस को उक्त आराजीयात पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे वादीगण की आराजी नम्बर 306 एवं 308 की दक्षिणी मेड़ पर 0.0885 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 का व आराजी नम्बर 308 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 02 का 0.5564 हैक्टयर भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजी से प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो का कोई हक अधिकार नहीं है।. यह है कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित वादीगण की वादीगण की आराजी नम्बर 306 एवं 308 की दक्षिणी मेड़ पर 0.0885 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 का व आराजी नम्बर 308 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 02 का 0.5564 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एक लगायत 02 दो ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने दिनांक 25 पच्चीस अगस्त 2022 दो हजार बाईस को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो ने वादीगण को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 दो का कुछ नहीं बिगाड सकते है। इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद पातलियास पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे वादीगण की आराजी नम्बर 306 एवं 308 की दक्षिणी मेड़ पर 0.0885 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 का व आराजी नम्बर 308 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 02 का 0. 5564 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। यह

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

है कि वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्ध बिनाय वाद दिनांक माह जून 2022 दो हजार बाईस को कब्जा कर लेने व दिनांक 22 बाईस जून 2022 दो हजार बाईस को मौका पर्चा बनने व दिनांक 25 पच्चीस अगस्त 2022 दो हजार बाईस को कब्जा छोडने से इंकार कर देने से से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है। कि वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद पातलियास पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे वादीगण की आराजी नम्बर 306 एवं 308 की दक्षिणी मेड़ पर 0.0885 हैक्टयर पर प्रतिवादी संख्या 01 का व आराजी नम्बर 308 की उत्तरी मेड़ पर प्रतिवादी संख्या 02 का 0.5564 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 एक एवं 02 द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाने की कब्जेयाबी डिकी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 01 एक लगायत 02 दो के विरूद्ध सादिर फरमायी जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपनी एकतरफा साक्ष्य में स्वयं वादी 1–शंकर पुत्र गोपी जाट नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) प्रदर्श–01 व 02 पत्थरगढ़ी प्रकरण सं. 68/2022 पारित आदेश दिनांकित 26.05.2022 की आदेश की पालना में रेवेन्यू इन्स्पेक्टर व पटवारी हल्का ने दिनांक 22.06.2022 को वादग्रस्त आराजियात के मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाये जिनकी प्रमाणित प्रतियां व प्रदर्श– 3 जमाबंदी संवत (2076–2079) साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी ।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन से स्पष्ट है की विवादित भूमि वादीगण के खाते मे चली आ रही है। उक्त भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2076–2079 से होती है। पटवार हल्का एवं भू0अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवः

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

—:: आदेश ::—

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) मे आराजी नम्बर 306 रकबा 0.9863 है0 में सें 0.0885है0 पर प्रतिवादी संख्या 01 एवं आराजी संख्या 308 रकबा 2.0864 हैक्टयर मे से 0.5564 है0 यानि 5564 वर्गमीटर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस रकबा 0.0885है0, यानि 885 वर्गमीटर, एवं रकबा 0.5564है0 यानि 5564 वर्गमीटर, भूमि का कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 885 वर्गमीटर प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 5564 वर्गमीटर प्रतिवादी संख्या 02 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 05.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ जिला-भीलवाड़ा

(झंवर लाल)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला–भीलवाड़ा